

भाग-III

जनपद- बागेश्वर अन्तर्गत बैजनाथ- बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी० 15 से
उडलगाँव तक मोटर मार्ग

लम्बाई- 01.60 किमी०

(प्रस्ताव संख्या 154869/2022)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ, सहमत।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- 30.09.2022।

स्थान:- अल्मोड़ा।

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1088 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 06/10/2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- बागेश्वर अन्तर्गत बैजनाथ- बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी 0 15 से उडलगौव तक
मोटर मार्ग प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/154869/2022।

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर की पत्र संख्या 456/12-1 (2) दिनांक
01.08.2022।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत मोटर
मार्ग से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्ताव की 03 हार्ड कॉपियां Part-I, Part-II and Part-III सहित संलग्न कर बन्द
लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही
है।

संलग्न- 03 हार्ड कॉपियां।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।